लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1456
28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग के उन्नयन के लिए योजनाएं

1456. डॉ. विनोद कुमार बिंद:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश के भदोही में वस्त्र उद्योग और इसके हितधारकों के उन्नयन के लिए प्रदान की गई किसी भी प्रोत्साहन राशि, योजना या वित्तीय सहायता के बारे में ब्यौरा है; और

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के बीच वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई योजनाओं, कार्यक्रमों और जारी की गई प्रोत्साहन राशि का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): भारत सरकार ने भदोही, उत्तर प्रदेश सहित देश भर में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं/पहलों को लागू किया है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मैन-मेड फाइबर (एमएमएफ) फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, अनुसंधान नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाला राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीएमएम); मांग संचालित, रोजगार उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना; राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम; कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस); और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम शामिल है।

वस्त्र उद्योगों को दी जाने वाली योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रोत्साहनों का विवरण निम्नानुसार है:

i. कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) और राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत, पात्र हथकरघा एजेंसियों/श्रमिकों को कच्ची सामग्री, उन्नत करघों और सहायक उपकरणों की खरीद, सोलर लाइटिंग इकाइयों, कार्यशाला के निर्माण, कौशल विकास, उत्पाद विविधीकरण और डिजाइन नवाचार, तकनीकी और सामान्य अवसंरचना, इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएचबी) हैंडलूम मार्क (एचएलएम) और जीआई टैग द्वारा प्रचार एवं ब्रांड विकास, ई-कॉमर्स सुविधाओं, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों के विपणन आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए, वर्ष 2014-15 से वर्ष 2025-26 तक निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है:

- 96.34 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए 86 छोटे हथकरघा कलस्टरों और 1 मेगा हथकरघा कलस्टर को लिया गया है जिससे 25,885 हथकरघा कामगारों को लाभ हुआ है।
- हथकरघा उत्पादों की बिक्री को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए 143 विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- उत्पादकता बढ़ाने, विपणन क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए, 13 हथकरघा उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है।
- वाराणसी, आगरा, बरेली, रामपुर, अयोध्या और झांसी में 6 अर्बन हाट संचालित हैं और 2.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
- 6,865 बुनकर/हथकरघा संस्थाओं को हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए जीईएम पर ऑन-बोर्ड किया गया है।
- बुनकरों की मुद्रा योजना के तहत 21,566 लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया गया है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 17,391 लाभार्थियों का नामांकन किया गया है।
- परिवहन सब्सिडी और मूल्य सब्सिडी के तहत कुल 732.39 लाख किलोग्राम यार्न की आपूर्ति की गई है।

ii. हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्धन के लिए, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) लागू किया गया है। इस योजना के तहत, भदोही, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कारीगरों को एंड-टू-एंड तक सहायता के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2025-26 के दौरान तीन गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक टूलकिट वितरण कार्यक्रम लागू किए गए, जिससे 138 कारीगरों को लाभ हुआ। इसके अलावा, वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) को दो शिल्प-आधारित संसाधन केंद्र (सीबीआरसी) अनुमोदित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 के दौरान भदोही जीआई शिल्प के हस्तनिर्मित कारपेट में उथान कारपेट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (यूसीपीसी) का गठन किया गया है और भदोही के कालीन क्लस्टर को मजबूत करने के लिए यूसीपीसी को 11 विभिन्न हस्तक्षेपों की मंजूरी दी गई है।

iii. उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य एमएमएफ वस्त्रों में भारत की संरचनात्मक कमियों को दूर करना और बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी और मूल्य संवर्धन के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। देश भर में इस योजना के तहत अब तक 386.30 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की जा चुकी है। इस योजना के तहत चयनित 170 कंपनियों में से 15 उत्तर प्रदेश की हैं।

iv. समर्थ-वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए यह योजना मांग-संचालित और रोजगार-उन्मुख कौशल कार्यक्रम प्रदान करती है। दिनांक 22.07.2026 तक, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 1,34,503 लाभार्थियों को प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) किया गया है और भदोही जिले में 151 लाभार्थियों को प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) किया गया है।
